वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

भारत में तलाक का विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं प्रभाव

[1]पूनम चौरसिया
शोधार्थी विधि
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)

[2]डॉ. एल. पी. सिह
शोध-निर्देशक
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)

सार-संक्षेप

यह सार इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत में पारंपरिक रूप से विवाह को पवित्र माना जाता है, लेकिन तलाक की दरें महत्वपूर्ण दर से बढ़ रही हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तलाक दरों में असमानताओं का भी उल्लेख करता है। भारत की विद्यमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिथितियों में हर वर्ष लाखों की संख्या में तलाक होते है तलाक की दरों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षा की कमी, गरीबी, बेरोजगारी, कम उम्र में विवाह, चरित्र हीनता, क्रूरता भौतिक लालसा, रोग, झूठापन, आत्याचार, धर्म परिवर्तन, प्रलोभन, स्वार्थ सिद्धि, धर्मान्धता इत्यादि की वजह से पति-पत्नी के मध्य तलाक अथवा सम्बलन्धध विच्छेद की स्थिति पैदा हो रही है जिसका बुरा प्रभाव समाज, परिवार तथा बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे अपने माता या पिता से अलग हो जाते है। जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, चरित्र एवं संस्कारों पर बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य आश्रित व्यक्ति भी इसके प्रभाव से वंचित नही रह पाते है।[1]

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन में तलाक एवं उससे उत्पन्नव जटिलताओं का अध्ययन एवं प्रभाव का आंकलन करना ही प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उदेश्य है। साथ ही त्लाक और उसके समाधान एवं बाल अभिरक्षा एवं प्रबंधन हेतु तथ्य परक सुझाव प्रस्तुत करना भी शोधार्थी का उद्देश्य है। प्रस्तुत शोध-पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक समन्कों को समाहित किया गया है। तलाक के विविध पहलुओं के अध्ययन के लिए विभिन्न शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, विभागों, शोध संस्थाओं, प्रकाशनों, किताबों को आधार बनाया गया है।

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

हिंदू कानून और मुस्लिम कानून दोनों के तहत तलाक के कई सिद्धांत हैं, यह पेपर इन सिद्धांतों का विश्लेषण करने और उनमें सूचीबद्ध महत्वपूर्ण आधारों की तुलना करने का प्रयास करेगा, जिससे हिंदू और मुस्लिम कानून दोनों के तहत तलाक के सिद्धांत और विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के विवादास्पद सिद्धांत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके।

कुंजीभूत शब्द

तलाक, प्रबंधन, अभिरक्षा, जटिलता

प्रस्तावना

हमारे समाज में तलाक को हमेशा नकारात्मक नज़रिए से देखा जाता रहा है, आज भारत में अलग-अलग अधिनियमों में तलाक के लिए जो प्रावधान मौजूद हैं, वे पर्याप्त प्रगतिशील नहीं लगते। हिंदू कानून के तहत विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच एक अविभाज्य संबंध के रूप में देखा जाता है, और भले ही यह परिकल्पना पुरानी लग सकती है, लेकिन वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की अवधारणा इसका समर्थन करती है। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने तक, हिंदू धर्म किसी भी कारण से पत्नी के अपने पति से अलग होने को मान्यता नहीं देता था, चाहे वह परित्याग हो या घर में घरेलू हिंसा। इन कारणों से लोगों को यह विश्वास हो गया कि एक टूटी हुई शादी या एक शादी जिसके परिणामस्वरूप तलाक होता है वह कुछ ऐसा है भारत में तलाक अदालत में याचिका दायर करके कानूनी प्रकिया के माध्यम से विवाह का विघटन है। भारत में तलाक में तलाक की प्रक्रिया की याचिका दायर करने से शुरू होती है और तलाक के अंतिम आदेश के घोषणा के साथ समाप्त होती है।[2]

तलाक की प्रकिया को छः चरणों में विभाजित किया गया है जो है -

1. याचिका दायर करना
2. समन की सेवा
3. प्रतिक्रिया
4. परीक्षण

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

5. अंतरिम आदेश
6. अंतिम आदेश

इसमें पति-पत्नी के अलग होने के साथ-साथ सम्पत्ति का बंटवारा और बच्चों की कस्टडी का मुद्दा भी शामिल रहता है। भारत में तलाक की प्रकिया और कानून हर धर्म के हिसाब से अलग-अलग है।

तलाक के कारण

भारत में तलाक के निम्नलिखित कारण बताए गए है।

1. व्यभिचार

यह एक आपराधिक अपराध है जहाँ पति-पत्नी में से कोई एक विवाह के पहले किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंधों में शामिल होता है।

2. क्रूरता

क्रूरता से आशय जब व्यक्ति जानबूझकर पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति से गाली-गलोच, मारपीट, अपमान जनक शब्दों का प्रयोग तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है।

3. रोग-बीमारी

बीमारी से ग्रसित पति-पत्नी आपस में तंग आकर तलाक ले लेते है।

4. धर्म परिवर्तन

जब युवक-युवती अपना धर्म परिवर्तन कर वैवाहिक सम्बन्ध बनाते है एवं कुछ समय गुजरने के पश्चात् आपस में उनमें वैचारिक विभिन्न्ता आ जाने से उनमें तनावपूर्ण विकृति पैदा हो जाती है जो तलाक का कारण बनता है।

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

5. अन्य कारण

अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बालविवाह, झूठापन, भौतिक लालस, स्वार्थ सिद्धि इत्यादि का कारण भी तलाक का रूप ले लेते है।

तलाक के प्रकार

हिन्दू तलाक के प्रकार

भारत में तलाक प्रकिया और कानून हर धर्म के हिसाब से अलग-अलग है। हिन्दू कानून के तहत हिन्दू तलाक के दो प्रकार हैं।

1. आपसी तलाक

हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत आपसी तलाक धारा 13 बी द्वारा शासित है आपसी तलाक में दोनों पक्ष यानी पति-पत्नी परस्पर सहमत होते हैं। पति-पत्नी का गुजारा भत्ता और बच्चों की अभिरक्षा यदि कोई हो, से संबंधित मुद्दे को पहले से तय करना होगा। आपसी तलाक दाखिल करने के लिए केवल दो आवश्यकताऐं है एक आपसी सहमति और दूसरी कम से कम एक साल तक अलग रहना होगा।[3]

2. विवादित तलाक

जब तलाक की पहल पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा की जाती है तो इसे विवादित तलाक कहा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 विवादित तलाक दाखिल करने के लिए आधार प्रदान करती है जिनमें से कुछ हैं क्रूरता धर्म परिवर्तन संकामक रोग अस्वस्थ दिमाग या पति पत्नी में से किसी एक साल से अधिक समय से अनसुना होना।

मुस्लिम तलाक के प्रकार

भारत में मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक लेने की दो प्रक्रियाएं है।

1. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा न्यालयायिक प्रक्रिया[4]

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

मुस्लिम महिलाऐं तलाक माँग सकती हैं। उक्त अधिनियम की धारा 2 निर्दिष्ट करती है जिसमें-

1. कम से कम चार साल से पति का कोई अता-पता न हो।
2. पति कम से कम दो साल तक भरण-पोषण देने में असफल रहा हो।
3. पति बिना किसी उचित कारण के कम से कम तीन साल तक अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहा हो।
4. विवाह के समय पति नपुंसक था या यौन रोगों से पीड़ित था। कम से कम दो वर्ष से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो।
5. पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आता हो या उसकी शादी पंद्रह साल की उम्र से पहले हो गयी हो।

2. अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रिया

पति द्वारा तलाक ए सुन्नत

दो मासिक धर्म के बीच की अवधि के दौरान केवल एक बार मौखिक रूप से तलाक कहना होता है।[5]

इला

यहाँ पति शपथ लेता है चार महीने तक संभोग न करना, चार महीने के बाद शादी टूट जाती है।

निहार

इस रूप में पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी बहिन, माँ या निषिद्ध सीमा के भीतर किसी अन्य महिला से करता है।

पत्नी द्वारा तलाक

1. तलाक ए तफवीज़

इसमें पति या पत्नी का स्थायी या अस्थायी रूप से तलाक देने का अधिकार सौंपता है।

2. लियान

यदि पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया गया है तो वह न्यायिक तलाक लेने की हकदार है।

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

3. खुला

यदि पति-पत्नी आपसी सहमति से इच्छा जाहिर करें।

4. मुबारत

इसमें कोई भी तलाक प्रस्ताव रख सकता है।

ईसाई तलाक के प्रकार

भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10ए के तहत भारत में ईसाई तलाक करने के दो तरीके है जिसमें पारस्परिक एवं विवादित तलाक के आधार पर तलाक दे सकते है जिसमें आपसी सहमति एवं व्यभिचार, क्रूरता, चरित्र हीनता, बीमार, यौनाचार इत्यादि के आधार पर वह तलाक दे सकती है।[6]

बाल संरक्षण एवं प्रबंधन

शादी टूटने के बाद बच्चों की कस्टडी सबसे संवेदनशील मामलों में से एक है। क्योंकि इस मामले में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अदालतें किसी भी पक्ष को हिरासत में देने से पहले निम्न लिखित कारणों को ध्यान में रखती है।

1. कल्याण
2. वित्तीय व्यवस्था
3. सुरक्षित वातावरण
4. शिक्षा
5. भरण-पोषण, गुजारा-भत्ता
6. सम्पत्ति प्रभाग

इत्यादि कारकों से बच्चे की अभिरक्षा हो सकती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि तलाक हमारे जीवन एवं समाज, परिवार, देश के वातावरण में जहर घोल रहा है। हम अपनी अज्ञानता, ना समझी, झूठी शान, दिखावा, भौतिक वाद एवं

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर अपने पवित्र रिश्ते को तोड़ रहे हैं। अत: हमें तलाक जैसी सामाजिक बुराई का उन्मूलन कर बाल अभिरक्षा एवं उनका प्रबंधन कर सकते हैं और बच्चों पर होने वाले दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं।

संदर्भ

1. भारत का संविधान
2. हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 1955
3. "Divorce" ब्रिटैनिका विश्वकोष
4. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2
5. यूनीक प्रयाग प्रकाशन 2003
6. NIST Special publication 800-101-2018
7. म्हावारी प्रकाशन 2004

SKU SHODH SANCHAR शोध संचार